F0RM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनेश दीक्षित बनाम भूमिधारी तहसीलदार

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मुकदमा नम्बरः– 05/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11.01.2019	प्रार्थी वकील श्री कानाराम पूनियां एड. ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का पेश किया। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 22.01.2019 को पेश हो। [signature]	
22-1-19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर लौटे है। जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं आये है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23-1-19 को पेश हो। [signature]	
23.01.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 511/3 रकबा 0.1800 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम आसपुरा में स्थित है। जिसके प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 511/3 का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 21.12.2018 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का [signature]	तहसीलदार औपचारिक पक्षकार है। [signature] 23.01.19

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

दिनेश दीक्षित बनाम तहसीलदार

पत्थरगढ़ी मु० नं० 05/2019

आसपुरा व गढ़टकनेत के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमियों का मौके पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने किया है।

वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2074–77, नजरी नक्शा ट्रेस प्रति, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का आसपुरा द्वारा दिनांक 21.12.2018 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/– रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का आसपुरा द्वारा दिनांक 21.12.2018 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति को बिना परिवर्तन किये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

[signature]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	दिनेश दीक्षित बनाम तहसीलदार पत्थरगढ़ी मु०नं०- 05/19 यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 23.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Scanned by CamScanner